LAY OUT PLAN FOR CONSTRUCTION OF RP MAI KI MADHI'S BUILDING AT JAKHANI (GA) JAKHOLI

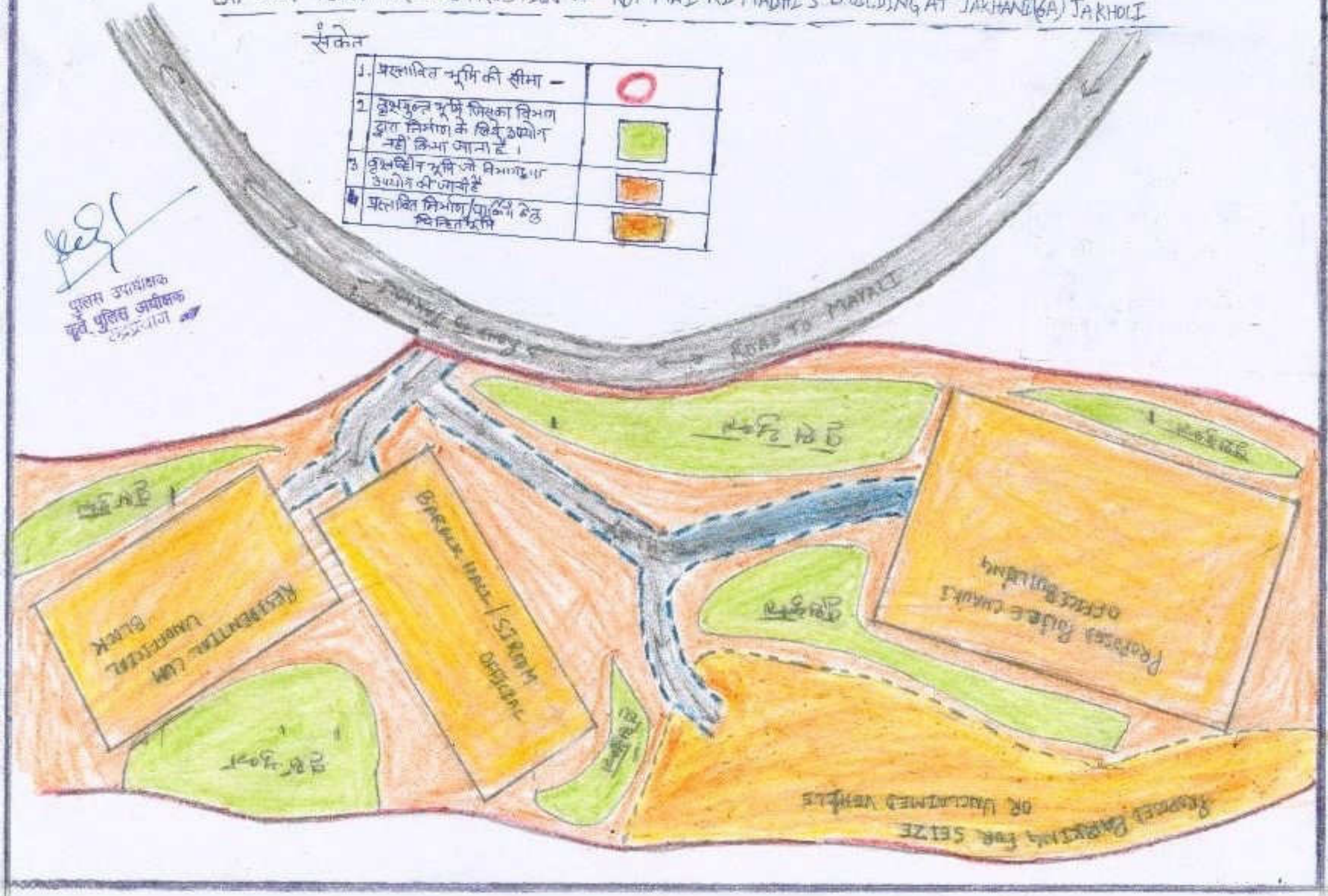

परियोजना का नामः- जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के भवनों के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी क0स0 06 अ में रकवा 0.26 है0 अर्थात 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण विषयक

प्रस्तावित परियोजना हेतु चिन्हित भूमि के एवज में अन्य भूमि चिन्हित किये जाने के सम्बन्ध में किये गये प्रयासों का विवरण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत पुलिस चौकी जनपद सृजन के साथ ही वर्ष 1997 में जनपद टिहरी की उप तहसील जखोली के इस जनपद में समाविष्ट होने पर जनपद के पुलिस कार्य क्षेत्रान्तर्गत हस्तान्तरित हुई है। **(प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 15 से 19 पर हस्तान्तरण आदेश संलग्न है)** विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्यालयों / आवासीय भवनों के निर्माण हेतु पुलिस विभाग की अपनी भूमि उपलब्ध नही है, जिसके कारण पृथक से भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावित किया गया है जबकि भूमि हस्तान्तरण / क्रय / अधिग्रहण के सम्बन्ध में स्वतन्त्र रुप से निविदा / विज्ञप्ति प्रकाशन का अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पर कोई प्राविधान नही है। विभागीय स्तर पर सभी आवश्यक कार्यालयों / आवासीय भवनों के निर्माण हेतु भूमि का आवंटन / क्रय की नीति / अधिग्रहण पूर्व से ही जिलाधिकारी स्तर से होता रहा है।

उल्लेख करना है कि जनपद टिहरी से हस्तान्तरित प्रश्नगत पुलिस चौकी जनपद सृजन से पूर्व किराये के भवन पर संचालित थी, परियोजना अधिष्ठापन की महत्ता को देखते हुए वर्ष 2003 ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग द्वारा जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से परियोजना की तब की आवश्यकताओं के अनुरुप भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया **(पत्र संख्या भ-15/2003 दिनांकित 25-11-2003, 10-12-2003 की छायाप्रति संलग्न)**, तदक्रम में तत्कालीन जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग ने अपने पत्र संख्या मैमो 26-12 (98-99) दिनांकित 28-02-2004 के द्वारा भूमि चिन्हित की गयी थी **(छायाप्रति संलग्न)**।

प्रस्तावित भूमि काफी प्रयासों के उपरान्त भी कतिपय कारणों से पुलिस विभाग को हस्तान्तरित नही हो पायी है एवं प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र लखनऊ द्वारा यह कारण अंकित करते हुए वापस कर दिया गया कि **" उपरोक्त प्रस्ताव आवसीय भवनों के निर्माण से सम्बन्धित है जिसमें वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति केवल कार्यालय भवन के लिये दी जा सकती है, यदि सरकार कार्यालय भवन के लिये**

स्वीकृति चाहती हो तो 74 वर्ग मीटर क्षेत्र पर मानचित्र सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करे।" (छायाप्रति पत्र संख्या 08बी / यू0सी0पी0 / 09 / 227 / 2010 / एफ0सी0 / 2245 दिनांकित 17-01-2011 संलग्न)।

वर्ष 2011 में शासन द्वारा उक्त पुलिस चौकी को रि0पुलिस चौकी में अधिसूचित कर 66 अतिरिक्त राजस्व ग्रामों को सम्बन्धित पुलिस चौकी के कार्य क्षेत्रान्तर्गत हस्तान्तरित किये जाने की अधिसूचना जारी की गयी, इन राजस्व ग्रामों के सम्बन्धित पुलिस चौकी क्षेत्र में सम्मिलित हो जाने के कारण सम्पूर्ण चौकी के कार्य क्षेत्रान्तर्गत कानून एवं शान्ति व्यवस्था तथा आपदा आदि कारणों के दृष्टिगत पुलिस बल की त्वरित उपस्तिथि सुनिश्चित किये जाने हेतु चौकी के कार्य क्षेत्र के मध्यस्थ / तहसील मुख्यालय के निकट आम जनहित में चौकी स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया। **(कार्यालय के पत्र संख्या भ-15/2003 दिनांकित 13-04-2012 की छायाप्रति संलग्न)** एवं तद्नुसार जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से भूमि चिन्हित किये जाने का अनुरोध किया गया (छायाप्रति संलग्न पत्र संख्या भ-15/2003 दिनांकित 19-02-2012 संलग्न) ।

उक्त क्रम में जिला प्रशासन द्वारा प्रश्नगत परियोजना एवं तहसील स्तर पर प्रस्तावित अग्निशमन केन्द्र जखोली के निर्माण हेतु स्थान मयाली के ज0वि0र0 ख0सं0 4047 के खसरा न0 0.627 हे0 मध्ये रकबा 0.600 हे0 राज्य सरकार की भूमि पुलिस विभाग को हस्तान्तरित किये जाने हेतु चन्हित की गयी एवं शासन के पत्र संख्या 2160/XVIII(II)/2013-18 (60) / 2013 दिनांकित 21-11-2013 **(छायाप्रति संलग्न)** के द्वारा भूमि की निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति प्राप्त हुई है, किन्तु प्रश्नगत भूमि की स्वीकृति के उपरान्त उप जिलाधिकारी जखोली द्वारा मौका तस्दीक एवं सीमांकन किये जाने पर पाया गया कि " **स्वीकृत भूमि मौके पर अत्यधिक ढलान वाली एवं भूस्खलन युक्त होने के कारण निर्माण हेतु उपयुक्त न होने के कारण राज्य सरकार की अन्य भूमि उपलब्ध न होने के फलस्वरुप वन भूमि हस्तान्तरण का सुझाव दिया गया"(उप जिलाधिकारी जखोली के पत्र संख्या 216/र0का0-2014-15 दिनांकित 02-07-2014 की छायाप्रति संलग्न)।**

उक्तांकित स्वीकृत भूमि के मौके पर अपेक्षा के विपरीत होने के फलस्वरुप भूमि की वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को सूचित करते हुए अन्यत्र निःशुल्क राजकीय भूमि हस्तान्तरण का अनुरोध किया गया **(पत्र संख्या भ-09/2011 दिनांक 30-06-2014 की छायाप्रति संलग्न)**। यहां यह भी उल्लेख करना है कि 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष

2011-12 की कार्ययोजना में स्थान गौरीकुण्ड में प्रस्तावित पुलिस चौकी के निर्माण कार्य (स्वीकृत धनराशि 94.45 लाख) को गौरीकुण्ड में आपदा के उपरान्त निर्माण हेतु उपयुक्त परिस्थितियां न होने के कारण स्थान मयाली में पुलिस विभाग की उक्त भूमि पर निर्माण किये जाना प्रस्तावित किया गया एवं शासन द्वारा तद्नुसार स्वीकृति भी उपलब्ध करायी गयी किन्तु उक्त स्वीकृत भूमि के विवादास्पद होने तथा विभागीय स्तर पर अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण स्वीकृत निर्माण प्रारम्भ नही किया जा सका है विभाग द्वारा निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि के भूमि की अनुपलब्धता के कारण पुर्नरक्षण होने की सम्भावनाओं को देखते हुए पुनः जिलाधिकारी प्रशासन से स्वीकृत भूमि के एवज में स्थान जखोली एवं मयाली के मध्य भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया (**कार्यालय के पत्र संख्या भ-15/2011 दिनांकित 05-07-2014 की छायाप्रति संलग्न**)।

कार्यालय के अनुरोध पर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग द्वारा भी उपजिलाधिकारी जखोली से स्वीकृत भूमि के एवज में राज्य सरकार की भूमि और इसकी अनुपलब्धता में वन भूमि का प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये। (**पत्र संख्या 3910/बीस-56(2013-14) दिनांक 15-07-2014 की छायाप्रति संलग्न**)। उक्त क्रम मे अधोहस्ताक्षरी द्वारा उप जिलाधिकारी जखोली से अनुरोध किया गया कि स्वीकृत भूमि के एवज में विभाग को राज्य भूमि अथवा सिविल राज्य भूमि उपलब्ध करायी जाये एवं यदि राज्य भूमि की विषम परिस्थितियों में न्यून उपलब्धता भी न हो तो ऐसी परिस्थितियों में वन भूमि (यथा राष्ट्रीय पार्क व वन्य जीव अभ्यारर्णो से मुक्त भूमि) चयनित करते हुए प्रस्तावित की जाये (**कार्यालय के पत्र संख्या भ-15/2011 दिनांकित 19-07-2014 की छायाप्रति संलग्न**) प्रतिउत्तर में प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 29 के अनुसार दर्शाये गये निरस्त किये गये समरेखण जो विभाग को हस्तान्तरण हेतु चिन्हित किये गये थे को निरस्त करते हुए प्रस्तावित भूम न्यूनतम / उपयुक्त / अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित कर स्वीकृति के क्रम में प्रेषित की गयी है।

अतः उक्त सम्बन्ध में अनुरोध है कि परियोजना की महत्ता एवं निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल के क्षेत्रान्तर्गत अन्य कोई वैकल्पिक सिविल / नाप / बेनाप / राज्य सरकार की भूमि उपलब्ध न होने के कारण प्रस्तावित भूमि को पुलिस विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित करते हुए स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

पुलिस अधीक्षक
रुद्रप्रयाग।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद रुद्रप्रयाग
पत्रांक:- 15/2003 दिनांक: नवम्बर 28, 2003

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग ।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि नवसृजित जनपद-रुद्रप्रयाग के पुलिस चौकी माईकीमढी, जनपद-रुद्रप्रयाग किराये के भवन पर चल रही है।जहाँ पर पुलिस कर्मचारियों के आवास तथा पुलिस चौकी भवन का निर्माण कराया जाना है जिसके लिये भूमि की नितान्त आवश्कता है ।

अत: आपसे अनुरोध है कि संलग्न खसरा व नक्शे का अवलोकन कर अपना अनुमोदन इस कार्यालय को भेजने की कृपा करें, ताकि भूमि का संयुक्त निरीक्षण कराया जा सके ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

प्रभारी पुलिस अधीक्षक
रुद्रप्रयाग

सं० 793
दि० 1/3

॥ कार्यालय जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग ॥

संख्या /26-12(98-99) दिनांक 28 फरवरी 2004,

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,
रुद्रप्रयाग।

विषय- पुलिस चौकी भाई की मट्टी के भवन निर्माण हेतु भूमि चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र सं०- 15/2003 दि०- 25-11-2003 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने पुलिस चौकी भाई की मट्टी के भवन निर्माण हेतु भूमि चयन करने हेतु अनुरोध किया है।

उपरोक्त के क्रम में आपको अवगत कराना है, कि पुलिस चौकी भाई की मट्टी के निर्माण हेतु आपके द्वारा प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार रुद्रप्रयाग जाँच करवाई गई है तहसीलदार रुद्रप्रयाग ने पुलिस चौकी के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के खा०खा०सं०-2/281 के खसरा सं०-5614, 5615 एवं 5616 मध्ये कुल रकबा 0.104 है० भूमि का चयन कर संस्तुति की गई है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि चयनित की गई भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू होते है।

अतः आप वन संरक्षण अधिनियम के प्राविधानों के तहत प्रस्ताव नियमानुसार छः प्रतियों में गठित करते हुये, सम्पूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। चयनित की गई भूमि के नक्शे खसरे की प्रति भी संलग्नकर आपको प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-यथोपरि।

28/02/04

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

HC
for Na pl

SP. RPG
9/3/04

10/3/04

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद रुद्रप्रयाग
पत्रांक:- म-15/2003 दिनांक:जून , 2004

सेवा में,

1- उप जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग

2- मुख्य चिकित्साधिकारी, रुद्रप्रयाग

3- प्रभागीयवनाधिकारी, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर (चमोली)

4- वन क्षेत्राधिकारी, रेंज कार्यालय, रुद्रप्रयाग

5- पूर्तिकार निरीक्षक, रुद्रप्रयाग

6- पट्टी पटवारी-जवाडी, तह0- जखोली, रुद्रप्रयाग

कृपया जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग के पत्रांक:-पेशी/26-12(99-2000) दिनांकित 22-4-2004 के द्वारा पुलिस चौकी माईकोमटी के भवन हेतु प्रस्तावित भूमि के लिए संयुक्त निरीक्षण की तिथि दिनांक-29-4-2004 नियत की गई थी जिसमें आप द्वारा अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा भूमि के संयुक्त निरीक्षण हेतु आपके द्वारा भाग नहीं लिया गया जिस कारण संयुक्त निरीक्षण उक्त तिथि को नहीं किया गया ।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि आप स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि को दिनांक: 8 -7-2004 को पुलिस कार्यालय में समय-10 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें, ताकि आपकी उपस्थिति में संयुक्त निरीक्षण कराया जा सके जिससे आपके द्वारा इस कार्यालय को अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जा सके ।

प्रभारी पुलिस अधीक्षक
जनपद-रुद्रप्रयाग

प्रतिलिपि:-थानाध्यक्ष-रुद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित है कि दिनांक: 8-7-2004 को तहसीलदार जखोली, पटवारीजवाडी को अपने साथ इस कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें ।

गोपनीय कार्यालय
पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग
क्रमांक 20 - 01-14
दिनांक 12/2/11

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी, देहरादून।
संख्या 1983/1जी–2647 (रूद्र0) :दिनांक:देहरादून: 05 फरवरी, 2011.

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,
जनपद–रूद्रप्रयाग।

विषयः–जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत पुलिस चौकी माईं की मढ़ी के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 0.104 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु पुलिस विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः–भारत सरकार की पत्र संख्या–8बी/यूसीपी/09/227/2010/एफ0सी0/2245 दिनांक 17–01–2011. (प्रति संलग्न)

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि उपरोक्त प्रस्ताव आवासीय भवनों के निर्माण से सम्बन्धित है, जिसमें वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति केवल कार्यालय भवन के लिये दी जा सकती है। आवासीय भवन के लिये वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति सम्भव नहीं है। भारत सरकार द्वारा अपने उक्त पत्र के माध्यम से यह भी सूचित किया गया है कि यदि प्रयोक्ता एजेन्सी कार्यालय भवन के लिये स्वीकृति चाहती है, तो 74 वर्ग मीटर क्षेत्र पर मानचित्र सहित एक संशोधित प्रस्ताव प्रेषित किया जाय, जिसमें वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत विचार किया जा सकता है।

अतः भारत सरकार के उक्त पत्र की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि भारत सरकार द्वारा वांछित प्रस्ताव पूर्ण सूचनाओं सहित सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से 3 प्रतियों में यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या– /1जी–2647 (रूद्र0) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, जनपद–रूद्रप्रयाग।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संलग्न–यथोपरि।

(राजेन्द्र कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

HC
for n a/f/s

SP
RPG
12/02/2011

भारत सरकार,
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज,
लखनऊ–226024
टेलीफैक्स–0522–2326696

गोपनीय कार्यालय
पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग
क्रमांक 37 07-7/11
दिनांक 27/1/11

पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी/09/227/2010/एफ.सी. /2245

दिनांक 17.01.2011

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग,
इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत पुलिस चौकी माई की मढी के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 0.104-है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु पुलिस विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः अतिरिक्त वन महानिदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक– 7–44/2010–आर0ओ0एच0क्यू0, दिनांक 21.12.2010

महोदय

उपरोक्त विषय पर नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड का पत्रांक 165/1जी–2647 (रुद्र0) दिनांक 24.07.2010 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त प्रस्ताव आवासीय भवनों के निर्माण से संबंधित है जिसमें वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति केवल कार्यालय भवन के लिए दी जा सकती है आवासीय भवन के लिए वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति संभव नही है।

अतः यदि राज्य सरकार कार्यालय भवन के लिए स्वीकृति चाहती है तो 74 वर्ग मीटर क्षेत्र पर मानचित्र सहित एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करें जिसमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विचार किया जा सकता है।

भवदीय,

(वाई0 के0 सिंह चौहान)
वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग,उत्तराखण्ड।
3. पुलिस अधीक्षक, जनपद रुद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड।
4. आदेश पत्रावली ।

10/1/2011

(वाई0 के0 सिंह चौहान)
वन संरक्षक(के.)

HC (वर्मा)
Forward &

SP
RPG
27/1/2011

द्वारा फैक्स/विशेष वाहक।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद रूद्रप्रयाग।

पत्रांक: भ–15/2003 दिनांक: फरवरी 11 ,2012

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद रूद्रप्रयाग।

कृपया अवगत कराना है कि इस जनपद की पुलिस चौकी माई की मढ़ी के आवासीय/अनावासीय भवनों निर्माण हेतु स्थान दरमोला के ख0ग्रा0सं0 02/282 के खसरा सं0 5614,5615,5616 मध्ये कुल 0.104 है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि चिन्हित कर पुलिस विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु वन विभाग को प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था।

उक्त भूमि का चयन वर्ष 2008 में पुलिस चौकी माई की मढ़ी के क्षेत्र का मध्यस्थ होने के कारण किया गया था चूँकि उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या: 2225(71)/XX–1/11/154/ई.प./2011 दिनांकित 12.12.2011 के द्वारा उक्त पुलिस चौकी को रिपोर्टिंग पुलिस चौकी में अधिसूचित कर 66(छियासठ) अतिरिक्त राजस्व ग्रामों को सम्बन्धित पुलिस चौकी क्षेत्रान्तर्गत हस्तान्तरित किये जाने की अधिसूचना जारी की है उल्लेखनीय है कि पूर्व चिन्हित भूमि इन अतिरिक्त राजस्वग्रामों के सम्बन्धित पुलिस क्षेत्र में सम्मिलित हो जाने के उपरान्त सम्पूर्ण क्षेत्र का मध्यस्थ क्षेत्र नहीं है, जबकि पुलिस चौकी/थाने से सम्पूर्ण क्षेत्र की लगभग बराबर दूरी होनी आवश्यक प्रतीत होती है जिससे सम्पूर्ण क्षेत्र में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में कठिनाईयों का सामना न करना पड़े।

अतः अनुरोध है कि पुलिस चौकी माई की मढ़ी के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु स्थान दरमोला के ख0ग्रा0सं0 02/282 के खसरा सं0 5614,5615,5616 मध्ये कुल 0.104 है0 चिन्हित सिविल एवं सोयम वन भूमि को निरस्त करते हुये माई की मढ़ी चौकी के क्षेत्रान्तर्गत मध्य क्षेत्र में पुलिस विभाग को निःशुल्क भूमि स्वीकृत किये जाने हेतु भूमि चिन्हीकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में सम्बन्धित राजस्व अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(विमला गुंज्याल)
पुलिस अधीक्षक,
रूद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि:

1. प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग को उक्त सम्बन्ध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. उपजिलाधिकारी रूद्रप्रयाग/ जखोली को उक्त कम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली रूद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ कि उक्तानुसार पुलिस चौकी माई की मढ़ी के आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण हेतु भूमि चयन की कार्यवाही करते हुये अविलम्ब आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

द्वारा फैक्स/पोलनेट।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद रूद्रप्रयाग।

पत्रांक व दिनांक उक्तानुसार ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित :–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी, देहरादून को उनके पत्र संख्या: 1जी/2647 दिनांकित: 05.02.2011 के कम में।
2. पुलिस उपमहानिरीक्षक, प्रो0/मॉडनाईजेशन, उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून।

(विमला गुंज्याल)
पुलिस अधीक्षक,
रूद्रप्रयाग।

परियोजना का नाम – रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान जखोली मे जाखणी–6 अ मध्य 0.26 है0 वन भूमि हस्तान्तरण विषयक।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पुलिस विभाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु तहसील जखोली (मयाली) सीमान्तर्गत उपयुक्त/प्रयाप्त राज्य सरकार की भूमि/सिविल वेनाप/नाप भूमि चयन का भरपूर प्रयास किया गया किन्तु उक्त क्षेत्रान्तर्गत कोई प्रयाप्त/उपयुक्त सरकारी/सिविल/वेनाप/नाप भूमि उपलब्ध न होने के कारण प्रस्तावित परियोजना की महत्ता/आवश्यकता को देखते हुये स्थान जखोली के जाखणी–6 अ के मध्य 0.26 है0 वन भूमि सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण हेतु चिन्हित की गयी है।

पटवारी जखोली I/c	तहसीलदार जखोली तहसीलदार जखोली जनपद रुद्रप्रयाग	उपजिलाधिकारी जखोली उपजिलाधिकारी जखोली

जिलाधिकारी
जनपद रुद्रप्रयाग।

द्वारा फैक्स/विशेष वाहक।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद रूद्रप्रयाग।

पत्रांकः भ–15/2003 दिनांकः अप्रैल 13,2012

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद–रूद्रप्रयाग।

कृपया इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांकितः 19.02.2012 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा इस जनपद की पुलिस चौकी माई की मढी के मध्यस्थ क्षेत्रान्तर्गत निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जानें का अनुरोध किया गया है।

अवगत कराना है कि वर्तमान में उक्त पुलिस चौकी भवन/भूमि की अनुपलब्धता के कारण स्थान माई की मढ़ी में किराये के भवन में स्थापित है चूँकि उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 2225(71)/XX–1/11/154/ई.ग./2011 दिनांकितः 12.12.2011 के द्वारा उक्त पुलिस चौकी को रिपोर्टिंग पुलिस चौकी में अधिसूचित कर 66(छियासठ) अतिरिक्त राजस्व ग्रामों को सम्बन्धित पुलिस चौकी क्षेत्रान्तर्गत हस्तान्तरित किये जानें की अधिसूचना जारी हुई है ,इन अतिरिक्त राजस्व ग्रामों के सम्बन्धित पुलिस क्षेत्र में सम्मिलित हो जानें के सम्पूर्ण क्षेत्र में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखनें में परेशानियों का सामना करना पड सकता है, जबकि पुलिस चौकी/थानें से सम्पूर्ण क्षेत्र की लगभग बराबर दूरी होनी आवश्यक है।

आज दिनांकः 13.04.2012 को संयुक्त रूप से पुलिस चौकी माई की मढी की स्थापना हेतु स्थान मयाली में स्थित लो0नि0वि0 के गेस्ट हाउस के सामनें बने भूकम्परोधी कक्षों का परीक्षण करते हुये उक्त दो कक्ष अस्थाई रूप से पुलिस चौकी की स्थापना हेतु उचित पाये गये एवं यह स्थान सम्पूर्ण माई की मढी पुलिस क्षेत्र का मध्यस्थ क्षेत्र भी हैं। **उल्लेखनीय है कि दिनांकः 28.04.2012 से जनपद में यात्रा सीजन प्रारम्भ हो रहा है एंव अब तक शासन के निर्देशानुरूप भूमि/भवन की अनुपलब्धता के कारण** उक्त पुलिस चौकी की स्थापना नहीं हो पाई है।

अतः अनुरोध है कि पुलिस चौकी माई की मढ़ी की अस्थाई रूप से स्थापना हेतु स्थान मयाली में लो0नि0वि0 के गेस्ट हाउस के सामनें बनें भूकम्परोधी कक्ष पुलिस विभाग को आबन्टित करनें का कष्ट करें ताकि पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध होनें तक अस्थाई रूप से पुलिस चौकी का संचालन किया जा सके।

13/04

(विमला गुंज्याल)
पुलिस अधीक्षक,
रूद्रप्रयाग।

संख्या-2160/XVIII(II)/2013-18(60)/2013

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

राजस्व अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 21 नवम्बर, 2013

विषयः-जनपद रूद्रप्रयाग में रिपोटिंग पुलिस चौकी माई की मण्डी एवं प्रस्तावित अग्निशमन केन्द्र, जखोली के भवन निर्माण हेतु कुल 0.600 है0 भूमि गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तांतरित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3066/छब्बीस-10(2012-13) दि0-13.6.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, ग्राम मयाली, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र एवं तहसील जखोली, जनपद रूद्रप्रयाग के ज0वि0र0 खतौनी खाता सं0-35 के खसरा सं0-4047 रकबा 0.627 मध्ये 0.600 है0 बंजर भूमि को वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 15-02-02 के प्राविधानों के अधीन तथा गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति/अनापत्ति के कम में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

3- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4- यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5- जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

6- जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7- प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

................2

8— प्रश्नगत नॉन जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू—सुधार अधिनियम की धारा—132 के समकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

9— इस संबंध में सिविल अपील संख्या—1132/2011(एस0एल0पी0)/(सी) संख्या—3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10— आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या—1 से 9 मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से यथा समय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ0प0संख्या— /समदिनांकित/2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4— निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

द्वारा फैक्स।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद रूद्रप्रयाग।

पत्रांकः भ-09/2011 दिनांकः जून 30, 2014

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद-रूद्रप्रयाग।

विषयः पुलिस चौकी माई की मढी(मयाली) के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृत भूमि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अवगत कराना है कि रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी(मयाली) एवं प्रस्तावित अग्निशमन केन्द्र जखोली के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु ग्राम मयाली, राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र एवं तहसील जखोली जनपद रूद्रप्रयाग के ज0वि0व0खतौनी खाता सं0. 35 के खसरा सं0-4047 रकबा 0.627 है0 मध्ये कुल .600 है0 बंजर भूमि शासनादेश संख्याः 2160/XVIII(3)/2013-18(60)/2013 राजस्व अनुभाग-2 दिनांकः 21 नवम्बर 2013 के द्वारा पुलिस विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित होकर आपके आदेश संख्याः आर-1593/छब्बीस-10(2012-13) दिनांकितः 20.12.2013 के निर्देशानुसार राजस्व अभिलेखों में विभाग के पक्ष में दाखिल-खारिज कर इन्द्राज की गई है। (छायाप्रति संलग्न)।

उल्लेख करना है कि इस विभाग में 13 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 की कार्ययोजना में स्थान गौरीकुण्ड में पुलिस चौकी के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य (स्वीकृत मूल्य रूपये 94.45 लाख) स्वीकृत हुआ था, किन्तु विगत वर्ष उक्त क्षेत्रान्तर्गत आयी भारी आपदा के कारण बदली हुई परिस्थितियों एवं स्थान मयाली में पुलिस चौकी की अनुपलब्धता तथा नियुक्त पुलिस बल के आवासीय/अनावासीय व्यवस्था की अनुपलब्धता एवं उक्तानुसार भवनों के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता को देखते हुये पुलिस चौकी गौरीकुण्ड का स्वीकृत कार्य स्थान मयाली में पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय/शासन से अनुरोध किया गया था जिस पर शासन द्वारा स्वीकृत कार्य को स्थान मयाली में पुलिस चौकी माई की मढी के नाम से किये जाने की सहमति प्रदान की गई है।

उक्त सम्बन्ध में स्वीकृत कार्य की कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर गढ़वाल ने अपने पत्र संख्याः 947/कार्य-6/10 दिनांकः 03.06.2014 के द्वारा अवगत कराया है कि दिनांकः 23.05.2014 को उनकी निर्माण इकाई के मजदूर स्थान मयाली में पुलिस विभाग की स्वीकृत भूमि का मृदा परीक्षण किये जाने हेतु गये थे तो भूमि को लेकर कुछ ग्रामवासियों द्वारा विवाद उत्पन्न किया गया, जिससे कार्य में बाधा के साथ-साथ मजदूर कार्य स्थल को छोड़कर चले गये हैं। सम्बन्धित निर्माण इकाई द्वारा निर्माण कार्य हेतु विवादित भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में उक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि सम्बन्धित भूमि का चयन नियमानुसार सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों की सहमति एवं राजस्व अभिलेखों से मिलान किये जाने के उपरान्त किया गया है एवं ग्रामवासियों द्वारा विवाद उत्पन्न किये जाने के कारण सम्बन्धित निर्माण कार्य हेतु विभाग के पास स्थान मयाली क्षेत्र में अन्यत्र विभागीय भूमि उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त पुलिस चौकी के निर्माण हेतु अन्यत्र भूमि चयन एवं हस्तान्तरण की कार्यवाही किये जाने में भी महीनों का समय लग सकता है जिसके कारण उक्त स्वीकृत निर्माण अपने निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप पूर्ण न होने के कारण निर्माण इकाई को भी कार्य की लागत पुनरीक्षित कराने की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जबकि शासन द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि उपरोक्त कार्य के लिये भविष्य में कोई धनराशि पुनरीक्षित नहीं की जायेगी।

अतः ऐसी परिस्थितियों में अनुरोध है कि पुलिस चौकी माई की मढी के निर्माण हेतु स्थान मयाली में उपलब्ध भूमि के विवाद को सुलझाये जाने अथवा इसके एवज में स्थान मयाली में ही प्राथमिकता के आधार पर अन्य निःशुल्क राजकीय भूमि पुलिस विभाग को हस्तान्तरित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

पुलिस अधीक्षक,
रूद्रप्रयाग।

प्रतिलिपिः पुलिस उपमहानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र, उत्तराखण्ड, देहरादून को उक्त सन्दर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रो0/मॉ0, उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून को उक्त सम्बन्ध में कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

प्रेषक,

उपजिलाधिकारी
जखोली।

सेवामें,

जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग।

संख्या 216 /र0का0-2014-15 दिनांक 02 जुलाई 2014

विषयः- जनपद रूद्रप्रयाग में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मण्डी एवं प्रस्तावित अग्निशमन केन्द्र जखोली भवन निर्माण हेतु कुल 0.600 है0 भूमि गृह विभाग उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है, कि शासनादेश संख्या 2160/xviii(ii)2013-18(60) 2013 राजस्व अनुभाग-2 दिनांक 21 नवम्बर 2013 एवं जिलाधिकारी महोदय रूद्रप्रयाग के कार्यालय पत्र संख्या 1593/छब्बीस-10 (2012-13) दिनांक 20 दिसम्बर 2013 के द्वारा ग्राम मयाली के ज0 वि0 रहित खतौनी खाता सं0 35 के खसरा नम्बर 406 रकबा 0.627 मध्ये 0.600 है0 भूमि को जिला रूद्रप्रयाग में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढी एवं प्रस्तावित अग्नि शमन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण कर भवन निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। तहसीलदार जखोली द्वारा अवगत कराया गया है, कि राजस्व निरीक्षक व चौकी इंचार्ज मयाली द्वारा मौका तस्दीक एवं सीमांकन करने पर पाया कि हस्तान्तरित भूमि भवन निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं है, क्योंकि पुलिस चौकी हेतु स्वीकृत भूमि मौके पर अत्यधिक ढलान वाली एवं भूमि के नीचे से भूस्खलन हो रहा है, जिससे भवन निर्माण किया जाना उपयुक्त नहीं है। पुलिस विभाग द्वारा भी उक्त भूमि के स्थान पर अन्य भूमि हस्तान्तरण किए जाने का अनुरोध किया गया है, किन्तु जखोली व मयाली के आस पास राज्य सरकार की भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है, किन्तु जखोली व मयाली के मध्य वन भूमि उपलब्ध हो सकती है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों के मध्यनजर पुलिस चौकी मयाली एवं अग्निशमन विभाग हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही याचक विभाग (पुलिस विभाग) द्वारा किया जाना उचित होगा।

उप जिलाधिकारी
जखोली।

प्रतिलिपि--पुलिस अधीक्षक रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2--तहसीलदार जखोली को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी
जखोली।

SPRP
2/7/14

आवश्यक/समयबद्ध।

प्रेषक,

पुलिस अधीक्षक,
जनपद-रुद्रप्रयाग।

सेवा में,

उपजिलाधिकारी,
जखोली।

पत्रांक: म-15/2008 दिनांक: जुलाई 5,2014

विषय: रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मण्डी एवं प्रस्तावित अग्निशमन केन्द्र जखोली के भवन निर्माण हेतु भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका पत्र संख्या: 216/20का0-2014-15 दिनांकित: 02.07.2014

कृपया उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मण्डी एवं प्रस्तावित अग्निशमन केन्द्र जखोली के निर्माण हेतु स्थान मयाली में पूर्व स्वीकृत 0.600 है0 भूमि के मौके पर निर्माण हेतु उपयुक्त न होने तथा विकल्प के तौर पर राज्य सरकार की अन्य भूमि उपलब्ध न होने के कारण स्थान जखोली व मयाली के मध्य वन भूमि हस्तान्तरित किये जाने के अनुरोध का सुझाव दिया गया है।

उक्त सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि इस विभाग में 13 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 की कार्ययोजना में स्थान गौरीकुण्ड में पुलिस चौकी के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य (स्वीकृत मूल्य रुपये 94.45 लाख) स्वीकृत हुआ था, किन्तु विगत वर्ष उक्त क्षेत्रान्तर्गत आयी भारी आपदा के कारण बदली हुई परिस्थितियों एवं स्थान मयाली में पुलिस चौकी की अनुपलब्धता तथा नियुक्त पुलिस बल के आवासीय/अनावासीय व्यवस्था की अनुपलब्धता एवं तदानुसार भवनों के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता को देखते हुये पुलिस चौकी गौरीकुण्ड का स्वीकृत कार्य स्थान मयाली में पुलिस चौकी माई की मण्डी के निर्माण हेतु परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय/शासन से अनुरोध किया गया था जिस पर शासन द्वारा स्वीकृत कार्य को स्थान मयाली में पुलिस चौकी माई की मण्डी के नाम से किये जाने की सहमति प्रदान करते हुये रुपये 94.45 लाख निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के पक्ष में स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

जैसा कि वर्तमान में भूमि के मौके पर निर्माण हेतु उपयुक्त न होने के कारण प्रश्नगत निर्माण हेतु नवीन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही किये जाने में सम्भवतः महीनों का समय व्यतीत हो सकता है जिसके कारण उक्त स्वीकृत निर्माण कार्य के अपने निर्धारित समयावधि लक्ष्यों के अनुरूप पूर्ण न हो पाने की ज्यादा सम्भावना है तथा ऐसी परिस्थितियों में भविष्य में सम्बन्धित निर्माण इकाई द्वारा भी कार्य की लागत को पुनरीक्षित कराने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जबकि शासन द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि उपरोक्त कार्य के लिये भविष्य में कोई धनराशि पुनरीक्षित नहीं की जायेगी।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत अपेक्षा है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु पूर्व स्वीकृत भूमि को खारिज करते हुये इसके एवज में स्थान जखोली एवं मयाली के मध्य अथवा आस-पास प्राथमिकता सिविल राज्य भूमि अथवा सिविल राज्य भूमि उपलब्ध न हो तो वन भूमि(जो राष्ट्रीय पार्क व वन्य जीव अभ्यारण्यों से मुक्त हो) चयनित करते हुये चयनित भूमि के नक्शा/खसरा, खतौनी आदि अभिलेख प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यालय के साथ-साथ प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

पुलिस अधीक्षक,
रुद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि:

1. जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को उक्त सम्बन्ध में कृपया सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी सम्बन्धित को प्राथमिकता के आधार पर तदानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग को मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 54/7-1-2013-800(4243)/2013 दिनांकित 03.09.2013 के क्रम में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि चिन्हित किये जाने की स्थिति में उपजिलाधिकारी स्तर पर गठित उपसमिति से भूमि का संयुक्त निरीक्षण प्राथमिकता के आधार पर कराते हुये प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु आवश्यक अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि: मूल पर नहीं।

3. क्षेत्राधिकारी रुद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी जखोली से सम्पर्क कर उपयुक्त भूमि का चयन कर चयनित भूमि का संयुक्त निरीक्षण किये जाने की कार्यवाही कराते हुये आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. प्रभारी रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मण्डी(मयाली) को तदानुसार आवश्यक अनुपालनार्थ।

पत्रांक प्राप्ति कार्यालय
पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग
क्रमांक 132 DIP
दिनांक 17-7-14

कार्यालय जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

संख्या– 3910 / बीरा– 56 (2013–14) दिनांक, जुलाई 15, 2014.

उप जिलाधिकारी,

जखोली।

जनपद रुद्रप्रयाग में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढ़ी एवं प्रस्तावित अग्निशमन केन्द्र जखोली भवन निर्माण हेतु कुल 0.600है0 भूमि गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक– 216/र0का0–2014–15 दिनांक 02–07–2014 का अवलोकन करें।

आपने उक्त पत्र में उल्लेख किया है कि ग्राम गयाली के ज0वि0रहित खतौनी खाता सं0– 35 के खसरा नं0 4047 रकबा 0.627है0 मध्ये 0.600है0 भूमि जनपद रुद्रप्रयाग में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढ़ी एवं प्रस्तावित अग्निशमन केन्द्र जखोली के भवन निर्माण हेतु कुल 0.600है0 भूमि प्रस्तावित कर विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गई, किन्तु उक्त प्रस्तावित भूमि मौके पर अत्यधिक ढलान वाली एवं भूस्खलन वाली भूमि है, जिस पर भवन निर्माण किया जाना उपयुक्त नहीं है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त भूमि के बदले अन्यत्र राज्य सरकार की भूमि और इसकी अनुपलब्धता में वन भूमि का प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं।

अतएव प्रस्तावित भूमि का खसरा, नक्शा अन्य वांछित अभिलेख तैयार करवाकर शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अपर जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

HC
for n.a.

SPRPG
18-7-14

आवश्यक/समयबद्ध।

प्रेषक,

पुलिस अधीक्षक,
जनपद रुद्रप्रयाग।

सेवा में,

उपजिलाधिकारी,
जखोली।

पत्रांक: म-15/2009 दिनांक: जुलाई 19, 2014

विषय: रिपोर्टिंग पुलिस चौकी भाई की मण्डी एवं प्रस्तावित अग्निशमन केन्द्र जखोली के भवन निर्माण हेतु भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांकित: 05-07-2014 एवं अपर जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग के पत्र संख्या: 3910/20-56(2013-14), दिनांकित: 15-07-2014 के संदर्भ में।

कृपया उपर्युक्त विषयक/सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा रिपोर्टिंग पुलिस चौकी भाई की मण्डी एवं प्रस्तावित अग्निशमन केन्द्र जखोली के निर्माण हेतु स्थान मयाली में पूर्व स्वीकृत 0.600 हे0 भूमि के जाँके पर निर्माण हेतु उपयुक्त न होने तथा विकल्प के तौर पर राज्य सरकार की अन्य भूमि की अनुपलब्धता के कारण वन भूमि चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित भूमि के खसरा/खसरा एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि की अनुपलब्धता होने तथा आपके स्तर से उपयुक्त/पर्याप्त सिविल राज्य भूमि अथवा वन भूमि चिन्हित न किये जाने के कारण परियोजना के निर्माण में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है, जिसके कारण स्वीकृत परियोजना के समय से निर्माण पूर्ण न होने की दशा में स्वीकृत लागत के पुनरीक्षित किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि विभिन्न सरकारी/गैरसरकारी परियोजनाओं के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है, यदि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि चिन्हित कर हस्तान्तरण की कार्यवाही की जाती है तो इसमें महीनों का समय व्यतीत हो सकता है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत अपेक्षा है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु पूर्व स्वीकृत भूमि को खारिज करते हुये इसके एवज में स्थान जखोली एवं मयाली के मध्य अथवा आस-पास प्राथमिकता सिविल राज्य भूमि अथवा सिविल राज्य भूमि की विषम परिस्थितियों में न्यून उपलब्धता भी न हो तो ऐसी परिस्थितियों में वन भूमि(यथा राष्ट्रीय पार्क व वन्य जीव अभ्यारण्यों से मुक्त हो) चयनित करते हुये चयनित भूमि के नक्शा/खाका, खतौनी आदि अभिलेख प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यालय के साथ-साथ प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

19/7

पुलिस अधीक्षक,
रुद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को उक्त सम्बन्ध में कृपया सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ कि आपके स्तर से भी सम्बन्धित को प्राथमिकता के आधार पर उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

2. प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग को मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या: 54/7-1-2013-800(4243)/2013 दिनांकित: 03.09.2013 के क्रम में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि चिन्हित किये जाने की स्थिति में उपजिलाधिकारी स्तर पर गठित उपसमिति से भूमि का संयुक्त निरीक्षण प्राथमिकता के आधार पर कराते हुये प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु आवश्यक अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि: मूल पत्र वहीं।

1. क्षेत्राधिकारी रुद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी जखोली से सम्पर्क कर उपयुक्त भूमि का चयन कर चयनित भूमि का संयुक्त निरीक्षण किये जाने की कार्यवाही करते हुये आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

2. प्रभारी रिपोर्टिंग पुलिस चौकी भाई की मण्डी(मयाली) को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु 30 नाली सिविल राज्य भूमि अथवा सिविल राज्य भूमि उपलब्ध न होने की दशा में वन भूमि चिन्हित किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर प्रत्येक दशा में चिन्हित भूमि के खसरा खतौनी आदि अभिलेख दिनांक ...../07/2014 तक प्रत्येक दशा में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।